मासूम बेटी को गोद में लेकर टावर पर चढ़ा पिता

घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा, सेना-एनडीआरएफ बुलानी पड़ी, मोतीनगर पुलिस पर मारपीट और झूठा केस दर्ज करने के आरोप

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत पीली कोठी के पीछे टेकरी पर एक युवक अपनी पत्नी और ढाई साल की मासूम बेटी को लेकर करीब 800 फीट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, बड़ी मशक्कत से उसे नीचे उतारा गया.

इस टावर पर परिवार को बैठे देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब चार घंटे से अधिक समय तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे में पुलिस, प्रशासन और रेस्क्यू टीम परिवार को नीचे उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन युवक अपनी मांगों पर अड़ा रहा. स्थिति की

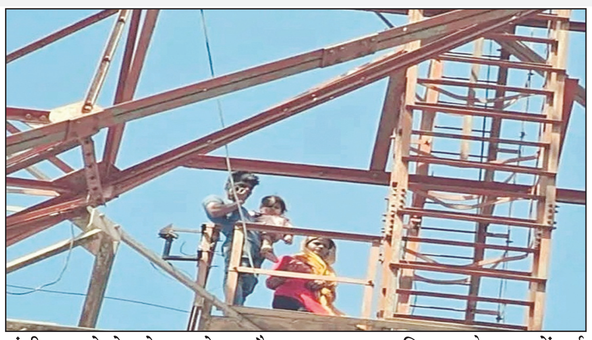

गंभीरता को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ की मदद तक बुलानी पड़ी. नीचे सुरक्षा के लिए जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में जान बचाई जा सके. टावर पर चढ़े युवक की पहचान बलराम अहिरवार के रूप में हुई है. उसके साथ पत्नी कृष्णादेवी और ढाई साल की बेटी भी मौजूद रही. सबसे मार्मिक दृश्य वह था जब बलराम अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर टावर के ऊपरी हिस्से में बैठा दिखाई दिया.

नीचे खड़े लोग सांस रोके इस दृश्य को देखते रहे. हर किसी के मन में एक ही डर था कि यदि जरा सी भी चूक हुई तो पूरा परिवार सैकड़ों फीट नीचे गिर सकता है. तेज गर्मी और ऊंचाई के बीच बच्ची की हालत को लेकर भी चिंता बनी रही. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बलराम लगातार पुलिस अधिकारियों से बहस करता रहा. वह बार-बार मोतीनगर थाना प्रभारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था. युवक का आरोप था कि मोतीनगर पुलिस ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और बाद में उस पर झूठा केस दर्ज कर जेल भेज दिया. इसी कार्रवाई से नाराज होकर उसने कदम उठाया.

जानकारी के अनुसार बलराम नीचे खड़े पुलिस अधिकारियों से चिल्लाकर कहता रहा– मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे फंसाया गया हैज,पहले न्याय चाहिए. थाना प्रभारी को मौके पर बुलाया भी गया, लेकिन इसके बाद भी युवक शांत नहीं हुआ और टावर से उतरने से इनकार करता रहा. बलराम के भाई ने बताया कि घटना से पहले वह उससे मिला था, उस दौरान बलराम बेहद परेशान और मानसिक तनाव में था. उसने बताया था कि पुलिस ने उसे थाने में घंटों बैठाकर पीटा और जेल भेज दिया. भाई के अनुसार बलराम लगातार कह रहा था कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और पुलिस उसे झूठे मामले में फंसा रही है. इसी गुस्से और हताशा में उसने परिवार सहित टावर पर चढ़ने जैसा खतरनाक कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शुरुआत में स्थानीय पुलिसकर्मियों ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब घंटों बाद भी वह नहीं माना तो मामला गंभीर हो गया. टावर की ऊंचाई करीब 800 फीट होने के कारण रेस्क्यू आसान नहीं था. प्रशासन ने सेना और एनडीआरएफ को सूचना दी. इसके बाद जवान मौके पर पहुंचे और नीचे सुरक्षा जाल लगाने की तैयारी शुरू की गई. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी और मासूम बेटी की जान जोखिम में डालकर 800 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बिना गंभीर मानसिक दबाव के ऐसा कदम नहीं उठा सकता.

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावे 7 दिवस में करवायें : कलेक्टर

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत जिले के चिन्हित दस गांवों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे ग्राम स्तर से सात दिवस में करवाये जाएं.

यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा इस संबंध में आयोजित जिले की पहली बैठक में जिला अधिकारियों को प्रदान किये. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वनों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन और उपयोग के अधिकार गांवों को दिये गये हैं, जिसका वे सतत उपयोग पारंपरिक रूप से सुरक्षा और संरक्षण के लिये कर रहे हैं. सागर जिले में इस प्रकार के पोटेंशियल ग्रामों की संख्या 1134 है, इस कार्य के लिये जनजातीय कार्य विभाग को नोडल का दायित्व सौंपा गया है. प्रथम चरण में 113 ग्रामों में ग्राम स्तर की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन और सतत उपयोग करने के अधिकार सौंपे जाने हैं.

योग-टीबी अभियान की जानकारी

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. आंगनवाड़ियों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया.

शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयुष औषधियां वितरित हुई. इस दौरान विश्व योग दिवस के अंतर्गत चल रहे 100 दिवस काउंटडाउन अभियान की जानकारी दी गई. ग्रामीणों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा योगाभ्यास भी कराया गया. साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय अभियान के तहत टीबी रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई. चिकित्सकों ने बताया कि टीबी के उपचार में औषधियों का प्रयोग भी लाभकारी है.

शाहपुर दोहरा हत्याकांड : तीन और आरोपी हुए गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. थाना सानौधा अंतर्गत चौकी शाहपुर क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

पुलिस ने मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब तक इस प्रकरण में कुल पांच आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस के अनुसार फरियादी

सूरज अहिरवार पिता दामोदर अहिरवार, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 07 शाहपुर थाना सानौधा ने थाना सानौधा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि शराब बेचने के संदेह को लेकर आरोपी नीलेश अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार निवासी शाहपुर, भगवत पटैल पिता कुदन पटैल निवासी शाहपुर, अंशुल यादव पिता रामप्रसाद यादव निवासी भडराना थाना बंडा, छोटू उर्फ हर्ष सिंह लोधी, तथा अभिषेक पटैल निवासी शाहपुर थाना सानौधा ने फरियादी सूरज अहिरवार एवं नीरज प्रजापति का रास्ता रोक लिया था. घटना में गंभीर रूप से घायल नीरज की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल सूरज अहिरवार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. थाना प्रभारी मोतीनगर निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने सेमाढाना, परगासपुरा एवं जैसीनगर क्षेत्र सहित विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रकरण का अन्य संदेही आरोपी सत्यपाल लोधी अपने दो साथियों के साथ भोपाल रोड स्थित जैसीनगर तिगड्डा के पास खड़ा है और प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में है. पुलिस ने जैसीनगर तिगड्डा पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस को देखकर तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया.आरोपी सत्यपाल लोधी ने स्वीकार किया कि वह मुख्य आरोपी छोटू उर्फ हर्ष लोधी के साथ शाहपुर शराब कंपनी में काम करता था.

विद्युत आपूर्ति प्रभावित

बंडा. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बंडा में स्थापित 50 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर में ऑयल लीकेज हो रहा है जो गंभीर स्थिति में है उक्त लीकेज सुधार हेतु मरम्मत कार्य किया जाना अति आवश्यक है, यदि शीघ्र-अतिशीघ्र समय रहते लीकेज को ठीक नही किया गया तो भविष्य में बड़ा तकनीकी फाल्ट आ सकता है.

आवश्यक मरम्मत कार्य (लोड़ रिलीफ) के कारण 22 मई सुबह 07 बजे से 24 मई की शाम तक 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बंडा से जुडे समस्त क्षेत्रो में आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई

नवभारत न्यूज

बीना 21 मई. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया.

कुटी मंदिर बस स्टैंड पर बांटी पानी की बोतलें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कुटी मंदिर स्थित बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पानी की बोतलें वितरित कीं. इस अवसर पर यात्री प्रतीक्षालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया.ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंदर यादव ने स्व. राजीव गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर

क्रांति और संचार क्रांति की नींव रखी. पंचायती राज को सशक्त कर युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया. उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया. कार्यक्रम में अशोक परिहार, चंद्रशेखर बबलू राज, ओमप्रकाश पासु, एडवोकेट राजाराम अहिरवार, एडवोकेट कृष्णा कैथोरिया, ममता अहिरवार, विक्रांत गोलंदाज, जन्नू लाल राय, लक्ष्मण चढ़ार, लालू अहिरवार, सुरेश सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे.

पटवारी हुईं निलंबित

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. पटवारी निधि सोनी, प.ह.नं. 11 मौजा बिलहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

बिलहरी निवासी आवेदक द्वारा कलेक्टर श्रीमती पाल के समक्ष सीमांकन न किए जाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गई थी. मामले की जांच में पाया गया कि निधि सोनी, पटवारी प.ह.नं. 11 मौजा बिलहरी द्वारा भूमि की पैमाइश और सीमांकन का कार्य समय सीमा में नहीं किया गया. तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार पटवारी निधि सोनी को पूर्व सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था. परंतु उनके द्वारा उक्त प्रकरण में न तो कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही चौहद्दी कृषकों को तामील सूचना पत्र की प्रतियां न्यायालय में पेश की गईं. जांच में स्पष्ट हुआ कि पटवारी निधि द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरती गई है. यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

सतर्कता एवं जागरुकता से ही सुरक्षा : एडवोकेट

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई.शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय में विधिक सहायता प्राधिकरण सागर के अंतर्गत महाविद्यालय में छात्राओं को जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया.

जिसमें पॉक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी एडवोकेट अंकित तिवारी एवं एडवोकेट दीपा तिवारी ने महाविद्यालय की छात्राओं को प्रदान की. इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मिश्रा, अधिवक्ता दीपा तिवारी

(सुप्रीम कोर्ट) और अधिवक्ता अंकित तिवारी ने विचार व्यक्त किए. एडवोकेट दीपा तिवारी ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराध से बचने के लिए उपाय बताये. एड. तिवारी नें विधिक सहायता शिविर के इस संबोधन में छात्राओं को पाक्सो एक्ट महिला सुरक्षा से संबंधित अनेक धाराओं की विस्तर जानकारी दी. जनभागीदारी समिति अध्यक्ष मनीषा मिश्रा नें आयोजनों की सार्थकता पर प्रकाश डाला. इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य डॉ. अखिलेश पटैरिया ने विचार व्यक्त किये. प्राचार्य डॉ आनंद तिवारी नें अनेक जागरूकता कार्यकमों की जानकारी दी.

केंद्र में सांसद ने सुनीं समस्याएं

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने पुरानी कचहरी परिसर स्थित सांसद संवाद केंद्र में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनीं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की.

इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आये नागरिकों ने अपनी पंचायतों और वार्डो से जुड़ी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया. जनसुनवाई के दौरान पेयजल, सड़क निर्माण, विद्युत व्यवस्था एवं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामलों को नागरिकों ने बताया कि कई क्षेत्रों में गर्मी के चलते पेयजल की समस्या आ रही है, वहीं कुछ गांवों में सड़कें खराब होने से आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सांसद डॉ. वानखेड़े ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरती जाए.

राशि भुगतान करने की मांग की गई

सागर. नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री एवं सागर संभाग के प्रभारी राजेश सिंह राजपूत ने निगमायुक्त राजकुमार खत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निगम के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नगरीकरण की राशि का भुगतान किया जाए. उन्होंने म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का उल्लेख पत्र में किया है. निगमायुक्त को पत्र में लेख किया है कि नगर पालिक निगम में अवकाश नगदीकरण नियम 2025 प्रभावशील है परंतु सेवानिवृत्त एंव सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर बकाया अवकाश के नगदीकरण की गणना अवकाश नियम 2025 के प्रावधानों अनुसार नही की जा रही है. जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है.

छात्र-छात्राओं के लिए साइकिलों का वितरण

नवभारत न्यूज

बंडा 21 मई. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वी एवं 9 वी के नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं हेतु नि:शुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन नगर के शासकीय सांदीपनि विद्यालय परिसर में किया गया.

मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र सिंह द्वारा शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 65 छात्राओं, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 35 एवं शासकीय सांदीपनि विद्यालय के 70 नव प्रवेशित पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया गया. विधायक श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है,जिसमें नि:शुल्क साइकिल वितरण भी

एक महत्वपूर्ण योजना है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सृष्टि जैन ने कहा कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है. साइकिल प्राप्त होने से विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा एवं नियमित उपस्थिति में भी सकारात्मक वृद्धि होगी.

पीएम श्री कन्या शाला प्राचार्य संतोष चौरसिया ने शासकीय विद्यालयों में संचालित अनेक योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी. कार्यक्रम को रूपेश रोशन खरे, शैलेंद्र बुंदेला, नीतेश जैन ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर, प्राचार्य बी.डी. गौड़, विद्यालय प्रभारी प्राचार्य विवेक सोनी, संजय सेन,सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अभिभावकगण, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं शामिल हुए.

ननि को प्रदेश में प्रथम स्थान

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. नगर निगम ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि के साथ नगर निगम सागर को पुन: ए ग्रेड प्राप्त हुआ है.

उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिमाह प्रदेश की 16 नगर निगमों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है. इस मूल्यांकन में नगर निगम ने नागरिक शिकायतों के त्वरित, संतोषजनक एवं समय-सीमा में निराकरण के आधार पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. श्री खत्री द्वारा प्रतिमाह सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है.

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार मोहम्मद अशरफ हुसैन वल्द सहादत हुसैन, निवासी वार्ड नं. 17, बर्फ फेक्ट्री के पास, गुरूगोविंद सिंह वार्ड, सागर नगर कैंट सागर पिन नं. 470001 ने मेसर्स सागर इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर सैयद तनवीर अली वल्द सैयद वाहिद अली से इंडस्ट्रीयल एरिया सिद्धगुंवा प्लाट नं. 57, सेक्टर नं. बी क्षेत्रफल 5400 तह. व जिला सागर है, जो कि अमेडमेंट दिनांक 09.09.2011 के माध्यम से प्राप्त किया था, जिसकी लिंक लीज डीड दिनांक 20.08.1998 पुस्तक नं. ए-1, वाल्यूम नं. 4873, पेज नं.45 से 46, सीरियल नं 1685 है, जो कि मध्यप्रदेश औधोगिक केंद्र विकास निगम ने मेसर्स सागर इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर सैयद तनवीर अली वल्द सैयद वाहिद अली को 05.08.1998 से 04.08.2037 तक लीज प्रदान की थी, वह लिंक लीज डीड गुम हो गयी है। मेरे पक्षकार द्वारा अमेडमेंट डीड दिनांक 09.09.2011 से लीज ली गयी सम्पत्ति को बंधक रखकर, HDB Bank Branch Sagar से ऋण लिया जा रहा है। जिसमें लिंक लीज डीड की मूल प्रति रखा जाना अति आवश्यक है गुम होने की सूचना मेरे द्वारा संबंधित थाने में दिनांक 11.05.2026 को कर दी है। यदि किसी व्यक्ति संस्था निकाय को मेरे पक्षकार द्वारा HDB Bank Branch Sagar से ऋण लेने में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के तीन दिवस के अंदर मेरे कार्यालय जो कि 5/18 स्नेह नगर कॉलोनी शिवाजी वार्ड गोपालगंज तह. व जिला सागर (म.प्र.) है में उपस्थित होकर आपत्ति से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें तीन दिवस की अवधि के पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

सागर
दिनांक : 21.05.2026

सूचनाकर्ता
जलज सोनी
एडव्होकेट सागर (म.प्र.)
मो.नं. 9407542513

In The Court Of Additional Judge to Civil Judge Class-I, Civil Court, Bina

Presiding Officer: श्री शरद जोशी

(MJC SUC/0000002/2026)

वर्तिका वशिष्ट

Vs

शाखा प्रबंधक एसबीआइ एवं अन्य

Process Id-

पेशी दिनांक : 25/06/2026

प्रेषिती-(1) आम जनता बीना पता जिला सागर

यह कि प्रार्थी वर्तिका वशिष्ट ने आपके विरूद्ध के लिए बाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्रीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें

यह आज तारीख 09 May 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

(शरद जोशी)
Additional Judge to Civil Judge Class-I, Civil Court, Bina

अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता के विरोध में ज्ञापन

नवभारत न्यूज

ललितपुर 21 मई. लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ कथित अभद्रता एवं मारपीट की घटना को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है. जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जनपद लखनऊ में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुई घटना में अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उनके चेंबरों को भी नुकसान पहुंचाया गया. इस

घटना को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है. ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता समाज न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्य करता है, बार एसोसिएशन ने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई. अधिवक्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों में दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, अधिवक्ताओं के क्षतिग्रस्त चेंबरों का पुनर्निर्माण कराने की मांग शामिल की. इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरिराम राजपूत, महामंत्री संतोष सिंह यादव आदि मौजूद रहे.

सद्भावना शाखा मासिक बैठक

नवभारत न्यूज

सागर 21 मई. बालक हिल व्यू स्थित अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, मरुदेवी संभाग, सद्भावना शाखा की मासिक बैठक संपन्न हुई.

सर्वप्रथम कुंडलपुर के बड़े बाबा एवं आचार्य श्री के चित्र का अनावरण विशिष्ट पदाधिकारी सुषमा चौधरी व संभागीय अध्यक्ष शिवानी सिंघई ने किया. दीप प्रज्वलन शाखा संरक्षक प्रो. रश्मि जैन, शाखा अध्यक्ष रश्मि आलोक जैन, सचिव डाली चौधरी, कोषाध्यक्ष अमिता जैन ने किया. मंगलाचरण श्रीमती दीपिका पडवार, मयंका जैन एवं प्रियंका जैन ने किया. शाखा अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जैन ने चर्चा उपरांत कार्यकारिणी गठन करते हुए कामिनी शाह, प्रियंका जैन, मनीषा जैन, दीप्ति संघी, अनीता जैन, समता जैन, मयंका जैन, सिमी मोदी को नियुक्त किया गया है.

युवती की फोटो वायरल करने का आरोप

ललितपुर. सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और युवतियों को बदनाम करने के मामलों पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एक युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसकी फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर साइबर जांच शुरू कर दी है. युवती ने तहरीर में बताया कि थाना सौजना क्षेत्र के ग्राम गौना निवासी कप्तान राजा बुन्देला उर्फ कप्तान सिंह बुंदेला उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है.